कार्यालय जिलाधिकारी बस्ती।

आदेश

इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 257/भूलेख–सात/ले0भ02015, दिनांक 24 जून, 2016 द्वारा लेखपाल भर्ती 2015 हेतु अन्तिम रुप से चयनित अभ्यर्थियों की तहसीलवार तैनाती का आदेश जारी किया गया था जिसमें दिनांक 04.07.2016 को समिति द्वारा की गयी बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में किये गये संशोधन के आधार पर निम्नानुसार चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती उनके नाम के सम्मुख कालम 5 में अंकित तहसीलों में की जाती है –

S.No	Roll Number	Applicant Full Name	Father's Full Name	Alotted Tehsil
1	2	3	4	5
1	272125890036	KM. RUBY YADAV	GANGA SINGH	BASTI SADAR
2	276219400466	VIRENDRA NATH MAURYA	PYARE LAL MAURYA	BHANPUR

उपरोक्तानुसार राजस्व लेखपाल के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के वेतनमान 5200–20200 व ग्रेड पे 2000 में रिक्त लेखपाल क्षेत्र पर नियुक्ति सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उ0प्र0लेखपाल सेवा नियमावली 2006 यथा संशोधित 2015 में वर्णित नियमों एवं प्राविधानों तथा निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कराने के उपरान्त की जायेगी –

1. चयनित अभ्यर्थियों को लेखपाल के पद पर वेतनमान 5200–20200 में ग्रेड वेतन 2000 पर अस्थाई रूप से नियुक्त किया जायेगा तथा नियमावली के अनुसार परिवीक्षा दो वर्ष का अवधि होगा।
2. लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के नियम –11 के अनुसार समस्त सम्बन्धित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन (Police Verification) कराया जायेगा।
3. साथ ही यह भी देखा जायेगा कि संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे। इस हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी से शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा।
4. लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के नियम –12 के अनुसार नियुक्ति हेतु ऐसे पुरूष अभ्यर्थी पात्र नही होंगे जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसे ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। इस हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी से शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा।
5. लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के नियम –13 के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों को मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
7. अभ्यर्थी सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के समक्ष अपने सभी प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रतियों जिस पर अभ्यर्थी के पठनीय हस्ताक्षर एवं नाम स्पष्ट रूप से अंकित होंगे , के साथ उपस्थित होंगे, तथा मूल प्रमाण पत्र के साथ सत्यापन कराते हुये जमा करेंगे। साथ ही इस आशय का शपथ पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि चयनित अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण एवं निवास आदि प्रमाण पत्रो को उसने स्वयं ही बनवाया है।
8. लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के नियम –17 के अनुसार लेखपाल पद पर नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को नियत तिथि पर लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय में प्रवेश लेकर नियमानुसार एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इस हेतु पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।
9. लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के नियम –18(4) के अनुसार लेखपाल प्रशिक्षण के उपरान्त आयोजित अर्हकारी परीक्षा में यदि कोई परीक्षार्थी असफल होता है, तो ऐसे विषय में जिनमें वह अर्हकारी परीक्षा के दौरान असफल रहा, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दो अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा। यदि उक्त